Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to confer citizenship to Hindu migrants from Pakistan living in Barmer and Jaisalmer districts of Rajasthan.

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर आये हजारों हिन्दू शरणार्थी आठ-दस साल से भारत की नागरिकता पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। वे भारत में आये तो बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ उनकी तकलीफों से किसी से कोई सरोकार नहीं है। राजस्थान में अंतिम बार 2006-07 में विस्थापितों को नागरिकता मिली थी। तब से अब तक पड़ोसी देश पाकिस्तान में हालात खराब ही हुए हैं। पाक में हिंदुओं की हालत खराब है। इसलिए हर रविवार को पाक से आने वाली थार एक्सप्रेस में अपनी जान एवं आबरु को बचाने हेतु कुछ कपड़ों एवं बर्तनों के साथ यात्री उतर रहे हैं। यह लोग अपने रिश्तेदारों या परिचितों के साथ राजस्थान ही आते हैं। कमोबेश यही स्थिति गुजरात, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी है। राजस्थान के जोधपुर, अजमेर एवं जयपुर में यदि देखा जाये तो 5000 से ज्यादा पाक शरणार्थी हैं। जो गत 8-10 वर्षों से भटक रहे हैं। उनके दर्द का अहसास उनके चेहरों से किया जा सकता है। राजस्थान में मुख्य रुप से पाक के सिंध और अपर सिंध प्रान्त के लोग विस्थापित होकर आ रहे हैं। इनमें से 50 प्रतिशत थारपारकर जिले से आये हैं, जो अमरकोट, मीरपुरखास, मिठ्ठी, दीपकों, चेलार, नगरपारकर, सांगर, नवाबशाह, दादु, सखर, हैदराबाद और कराची से आये हैं। इनमें मुख्य रुप से सोढ़ा राजपूत, सिंधी लोहाणा, पुष्करणा एवं श्रीमाली ब्राह्मण, माहेश्वरी, राजपुरोहित, जाट, मेघवाल, भील, कोली, कोड, सुथार, दर्जी एवं चारण हैं। इसमें से 80-90 प्रतिशत मेरे संसदीय क्षेत्र के हैं और जो विभाजन के बाद रिश्तेदारों से दूर हुए हैं। ये लोग लांग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। इनके दर्द का कोई छोर नहीं है। इनको न नौकरी मिलती है, न बैंक खाता खुलता है, न ही आवश्यक कार्य हो पा रहे हैं। ये लोग लाचार और बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं। 2005-07 में 13 हजार शरणार्थियों के दर्द को समझते हुए भारत सरकार ने राजस्थान के पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टरों को विशेष अधिकार दिये थे। जिससे उनको सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिला था। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये लोग सार्वजनिक पार्कों एवं सरकारी भूमि पर अवैध रुप से इन जिलों में स्थाई रुप से निवास कर रहे हैं। परंतु खुद की पहचान के अभाव में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ एवं रोजगार के लिए अवसरों से वंचित हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि ख्याति प्राप्त गायक अदनान सामी को महज 7 माह में भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। इसी प्रकार उक्त शरणार्थी जो 9-10 वर्षों से भटक रहे हैं, उनको भी नागरिकता प्रदान की जाए। इस संबंध में मेरे द्वारा

दिनाँक 28.4.2017 को सदन का ध्यान आकर्षित किया गया था। जिस पर ध्यान देते हुए हाल ही में सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों को नागरिकता प्रदान करने हेतु निर्देश दिए गए थे। जिसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। परंतु स्थिति यह है कि बाड़मेर जिले में 274 आवेदनों में मात्र 50 एवं जैसलमेर में 1500 में से मात्र 11 पाक विस्थापितों को नागरिकता का पात्र माना गया है।

अतः मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार एवं विशेषकर जिला कलेक्टर बाड़मेर एवं जैसलमेर को वंचित पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान करने के निर्देश जारी किए जाएं, ताकि सालों से पीड़ित एवं आशान्वित विस्थापित लोग सम्मान की जिंदगी जी सकें।